GIC-PHE

Notification

क्रमांक 2/23/2013–1एच0बी0–III

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव हिसार मंडल, सभी उपायुक्त/उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य में।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 3–5–2013

विषयः– प्राईवेट हस्पतालों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियो/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतू मान्यता प्रदान करने बारे।

महोदय,

16867
14/5/20

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित प्राईवेट हस्पतालों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियो/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतू मान्यता प्रदान करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि इन हस्पतालों में करवाए गए ईलाज पर आए खर्चे की प्रतिपूर्ति केवल पी0जी0आई0 चण्डीगढ/एम्ज न्यु दिल्ली के रेटस के अनुसार की जाएगीः–

1. **फोर्टीज हस्पताल, ए–ब्लॉक, शालीमार बाग, दिल्ली–110088**
2. **मैक्स सुपर स्पैशिलिटी हस्पताल, एफ0सी0–50, सी0एण्ड0डी0 ब्लॉक, शालीमार बाग, न्यु दिल्ली–110088**

इस हस्पताल द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन अवश्य किया जाएगाः–

1. These hospitals will remain empanelled for a period of 2 years at a time which can be renewed further by the Government keeping in view the performance and track record of the hospital. The period of 2 years will be determined from the date of issue of this order.

2 Health Department reserves the right to call for record of treatment of any patient from any empanelled hospital to ensure that no mal-practice takes place.

3. These empanelled hospitals shall provide treatment to the employees in the event of a life threatening emergency without asking for deposition of the cost of treatment in advance. The patient shall pay the dues before discharge from the hospitals. The hospitals, however, shall verify the identity of the employee or his/her dependent to avoid impersonation.

4. These empanelled hospitals shall maintain a record of the treatment of the patients in the format to be prescribed by the Health Department.

5. These hospitals will have to follow the package rates for procedures, implants, room rents etc. as prescribed by Government from time to time.

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

मामले में वित्त विभाग (वित्त विकास–II) की सहमति उनके अर्ध सरकारी पत्र कमांक PS/FCF/2012/Nil दिनांक 4–12–2012 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

भवदीय

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

पृष्ठांकन कमांक 2/23/2013–1एच0बी0–III दिनांक चण्डीगढ़ 7–5–2013

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार

अशाः कमांक 2/23/2013–1एच0बी0–III दिनांक चण्डीगढ़ 7–5–2013

एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशाः कमांक PS/FCF/2012/Nil, दिनांक 4–12–2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, HARYANA
PUBLIC HEALTYH ENGINEERING DEPARTMENT

Endst. No. 5057–91 -PHE/ GA-V Dated:- 14-5-13

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. PA to EIC / PA to CE (Urban) /(Project)/ (Rural) / Programme) WSSO in Head Office
2. All Section Incharge in Head Office.
3. All the Superintending Engineers Public Health Engineering Circle in Haryana State.
4. The Executive Engineer (Coordination) in Head Office.

Superintendent (G&A)
for Engineer-in-Chief, Haryana,
14/5/13